2016 का विधेयक सं.6

राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबंध उत्तरदायित्व विधेयक, 2016 (जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

वितीय पुनर्संरचना, दीर्घ-अविध योजना के क्षेत्रों में पोषणीय आधार पर समर्थन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, विनियामक अनुपालनों के माध्यम से उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत प्रदाय हेतु समर्थ बनाने के लिए, राज्य के स्वामित्वाधीन वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वितीय और प्रचालन प्रतिवर्तन तथा दीर्घ-अविध पोषणीयता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार तथा राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के उत्तरदायित्वों के लिए और नीति निदेशों तथा उनसे संसक्त या उनसे आनुषंगिक विभिन्न अन्य अध्युपायों को अधिकिथत करने के लिए उपबंध करने हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

- 1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबंध उत्तरदायित्व अधिनियम, 2016 है।
 - (2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।
- (3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।
- 2. परिभाषाएं.- (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) "कार्य योजना" से धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कार्य योजना अभिप्रेत है;

- (ख) किसी दी हुई कालावधि के संबंध में, "संकलित तकनीकी और वाणिज्यिक हानि" से, उस कालावधि के लिए, जिसमें ऊर्जा आप्त की गयी, वितरण प्रणाली में ऊर्जा इनपुट करने और ऊर्जा आप्त करने के बीच का अन्तर अभिप्रेत है जो विक्रय की गयी ऊर्जा के उत्पाद, जिसके लिए उपभोक्ताओं को बिल जारी कर दिये गये हैं, और उस कालावधि के लिए संग्रहण दक्षता, जिसे ऊर्जा इनपुट की प्रतिशतता के रूप में अभिव्यक्त किया गया है, के बराबर होगी;
- (ग) "प्राधिकरण" से विद्युत अधिनियम की धारा 70 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (घ) "बोर्ड" का वही अर्थ होगा जो इसे विद्युत अधिनियम के अधीन दिया गया है;
- (ङ) "संग्रहण दक्षता" से ऊर्जा के विक्रय हेतु बिलों की कुल रकम का ऊर्जा के विक्रय के विरुद्ध उसी कालाविध के लिए प्राप्त कुल राजस्व का अनुपात अभिप्रेत है;
- (च) "विद्युत अधिनियम" से समय-समय पर यथा प्रवृत विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 36) अभिप्रेत है;
- (छ) "वितीय पुनर्सरचना योजना" से केन्द्रीय सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं. 20/11/2012-ए.पी.डी.आर.पी. दिनांक 05 अक्टूबर, 2012 के निबंधनों के अनुसार अधिसूचित वितीय पुनर्सरचना स्कीम के उपबंधों के

- अनुसार राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अनुमोदित वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की वित्तीय पुनर्संरचना के लिए योजना अभिप्रेत है;
- (ज) "वित्तपोषण साधन" से धारा 6 की उप-धारा (1) के निबंधनों के अनुसार यथा गठित राजस्थान राज्य विद्युत वितरण वित्त निगम लिमिटेड अभिप्रेत है;
- (झ) "मुख्य कार्य सूचक" से राज्य आयोग द्वारा अधिकथित कार्य स्तरमान, यदि कोई हों, और/या वितीय पुनर्सरचना योजना में, यदि कोई हों, और ऐसे समय तक उपरोक्तानुसार मुख्य कार्य सूचक अधिकथित किये जायें, इस अधिनियम की अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट मुख्य कार्य सूचक अभिप्रेत हैं;
- (ञ) "नोडल बैंक" से राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की वितीय पुनर्संरचना के प्रयोजनों के लिए और राज्य सरकार, राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी और उधार देने वाले भागीदारों के साथ समन्वय के प्रयोजनों के लिए वितीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामनिर्देशित बैंक अभिप्रेत है;
- (ट) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;
- (ठ) "विहित" से राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों दवारा विहित अभिप्रेत है;
- (ड) "नियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम अभिप्रेत हैं;

- (ढ) "राज्य आयोग" से विद्युत अधिनियम की धारा 82 के अधीन गठित राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;
- (ण) "राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी" से ऐसी सरकारी कम्पनी अभिप्रेत है जिसमें विद्युत वितरण के कृत्य निहित हैं;
- (त) "हू अप पिटीशन" से नियंत्रणीय और अनियंत्रणीय कारकों द्वारा कारित कार्य में फेरफार के अनुमोदित पूर्वानुमान और प्रवर्गीकरण के मुकाबले में संपरीक्षित लेखाओं पर आधारित पूर्ववर्ती वर्षों के व्यय और राजस्व के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा फाइल की गयी पिटीशन अभिप्रेत है।
- (2) ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त की गयी हैं किन्तु परिभाषित नहीं की गयी हैं और विद्युत अधिनियम में परिभाषित की गयी हैं, वही अर्थ होंगे जो उन्हें उस अधिनियम में दिये गये हैं।
- 3. राज्य विद्युत वितरण प्रबंध विवरण राज्य विधान-मण्डल के पटल पर रखा जाना.- (1) राज्य सरकार, दीर्घ-अविध योजना के क्षेत्रों में, उपभोक्ता संरक्षण, विनियामक अनुपालना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वितीय पुनर्संरचना को सिम्मिलित करते हुए, बजट सत्र के दौरान प्रत्येक वितीय वर्ष में राज्य विधान-मण्डल के समक्ष राज्य सरकार द्वारा राज्य में विद्युत वितरण के संबंध में किये गये अध्युपायों पर राज्य विद्युत वितरण प्रबंध विवरण रखेगी, तािक राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए पोषणीय आधार पर प्रचालन और वितीय व्यावहारिकता को पूरा किया जा सके और विशिष्टतया यह निम्नलिखित

से मिलकर बनेगा, अर्थात्:-

- (क) धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 7 और धारा 9 में निर्दिष्ट शर्तों या उपबंधों के संबंध में आगामी वितीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु मुख्य कार्य सूचकों के लिए लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए और राज्य सरकार की नीतियों और कार्यनीतियों को अधिकथित करते हुए राज्य विद्युत वितरण कार्यनीति विवरण, जो राज्य वितरण अनुज्ञित्धारियों के वितीय और प्रचालन प्रतिवर्तन पर संभाव्य विवक्षा रखता है;
- (ख) निम्नलिखित को सिम्मिलित करते हुए दीर्घ-अविध, मध्यम-अविध और लघु-अविध के आधार पर समयबद्ध कार्य योजना,-
 - (i) मुख्य कार्य सूचकों के लिए लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु क्रियाकलाप;
 - (ii) मुख्य कार्य सूचकों के लिए लक्ष्यों की प्राप्ति स्निश्चित करने हेत् मानीटरिंग प्रणाली;
 - (iii) अन्तः/मिड-कोर्स सुधारों के लिए फीडबैक लूप; और
 - (iv) ऐसे अन्य कार्य, जो इस अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु राज्य सरकार पर इस अधिनियम के अधीन छोड़े गये दायित्वों को पूरा करने के लिए अपेक्षित हों:

परन्तु कार्य योजना में, व्यतिक्रमी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई को सम्मिलित करते हुए, मुख्य कार्य सूचकों के लिए वास्तविक कार्य और लक्ष्यों में विचलन दूर करने/कम करने के कदम होंगे।

- (ग) राज्य विद्युत वितरण अनुज्ञिष्तिधारी या, यथास्थिति, राज्य सरकार द्वारा धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 7 और धारा 9, में निर्दिष्ट शर्तों या उपबंधों के साथ और मुख्य कार्य सूचकों के मुकाबले में अनुपालना का निर्धारण अधिकथित करते हुए राज्य विद्युत वितरण कार्य विवरण।
- (2) राज्य विद्युत वितरण प्रबंध विवरण ऐसे प्ररूप में होगा जो विहित किया जाये।
- (3) राज्य विद्युत वितरण प्रबंध विवरण किसी भी परिणाम पर प्रितिकूल प्रभाव डाले बिना होगा, जिसमें राज्य वितरण अनुज्ञिप्तिधारी विद्युत अधिनियम, विशेषतः उक्त अधिनियम की धारा 55 में निर्दिष्ट क्रम विकास और उक्त अधिनियम के अधीन किन्हीं भी आवश्यकताओं के संबंध में प्राधिकारियों के किन्हीं आदेशों और निदेशों के अधीन दायी हो सकेगाः

परन्तु इस धारा की कोई बात विद्युत अधिनियम के अधीन किसी आवश्यकता के शिथिलीकरण पर लागू नहीं होगी।

- 4. राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी की पोषणीयता के लिए दीर्घ-अविध योजना.- राज्य सरकार निम्निलिखित मामलों का उपबंध करने के लिए समुचित अध्युपायों का जिम्मा लेगी, अर्थात्:-
 - (क) यह कि राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी दीर्घ-अविध आधार पर विद्युत की मांग और उपलब्धता का प्राक्कलन करे और, मांग को पूरा करने के लिए, राज्य आयोग के

अनुमोदन से, दीर्घ/मध्यम/लघु अविध के करारों के माध्यम से ऊर्जा के क्रय की संविदा करे;

(ख) यह कि राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी, राज्य आयोग के अनुमोदन से, संकलित तकनीकी और वाणिज्यिक हानि घटाने के लिए समयबद्ध रोड-मेप तैयार करे:

परन्तु यह रोड-मेप इस अधिनियम के प्रवृत होने की तारीख से छह मास के भीतर-भीतर तैयार किया जायेगा;

(ग) यह कि राज्य वितरण अनुज्ञिष्तिधारी उपभोक्ताओं का सारणीकरण और उपभोक्ताओं के प्रत्येक प्रवर्ग की समयबद्ध मिटरिंग के साथ-साथ समस्त 33 किलो वोल्ट फीडर और 11 किलो वोल्ट फीडर की ऊर्जा के लेखों और संपरीक्षा का जिम्मा ले और ऐसा करने में वितरण अनुज्ञिष्तिधारी मीटर लगाने की प्रौद्योगिकियों में अद्यतन सुधार पर विचार करे। पुनर्सरचित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम में सिम्मिलित कस्बों में दो वर्ष के भीतर-भीतर वितरण ट्रांसफोर्मर स्तर ऊर्जा संपरीक्षा को क्रियान्वित किया जायेगा:

परन्तु समस्त उपभोक्ताओं के ऊर्जा लेखों और संपरीक्षा तथा समयबद्ध रूप से मीटर लगाने के संबंध में रोड-मेप इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से छह मास के भीतर-भीतर तैयार किया जायेगा और उसका अनुमोदन राज्य आयोग से मांगा जायेगा:

परन्तु यह और कि उपभोक्ता सारणीकरण इस अधिनियम के प्रवृत होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर-भीतर पूरा किया जायेगा:

परन्तु यह और भी कि राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऊर्जा लेखों, संपरीक्षा, मीटर लगाने और फीडरवार उपभोक्ता सारणीकरण के संबंध में अर्द्धवार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्राधिकरण और राज्य आयोग को प्रस्तुत करेगा;

- (घ) यह कि यदि राज्य सरकार किसी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के वर्ग को कोई सहायकी प्रदान करने की अपेक्षा करती है तो राज्य सरकार उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के वर्ग का, जिन्हें यह सहायकी प्रदान की जानी है, स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए सहायकी की मात्रा की घोषणा अग्रिम रूप से करेगी;
- (ङ) विद्युत अधिनियम की धारा 65 के अनुसार वार्षिक बजट संबंधी उपबंधों का सृजन और सहायकी का भी समय पर जारी किया जाना, यदि प्रतिबद्ध किया गया है;
- (च) यह कि इस अधिनियम के प्रवृत होने की तारीख को या उससे पूर्व राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और संस्थाओं को प्रदाय की गयी विद्युत के लिए विद्युत प्रभार बकाया न हों और ऐसा करने में असफल रहने की

दशा में यह बजट अनुदान के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा;

(छ) यह कि स्टेट लोड डिस्पेच सेन्टर, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर-भीतर, किसी राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित किसी सरकारी कम्पनी या किसी भी प्राधिकरण या निगम (राज्य पारेषण उपयोगिता से भिन्न) द्वारा, जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, संचालित किया जाता है और अन्य अध्युपायों का उपबंध किया जाता है जो क्रियात्मक और वितीय स्वायतता तथा आत्मनिर्भर एवं पोषणीय राजस्व स्रोत और पर्याप्त जनशक्ति सुनिश्चित करे:

परन्तु ऐसी कोई सरकारी कंपनी या कोई भी प्राधिकरण या निगम विद्युत अधिनियम की धारा 32 और 33 के अधीन विहित कृत्यों से भिन्न किन्हीं भी कृत्यों में नहीं लगेगा;

- (ज) राज्य वितरण अनुजिष्तिधारियों के संबंध में सहायक कंपनियों, सहउद्यम कंपनियों का गठन या विभाजन की अन्य स्कीमें, समामेलन, विलयन या पुनर्निर्माण या व्यवस्थाएं, जो परिणामी कंपनी की लाभकारिता और व्यावहारिकता को प्रोत्साहित करेंगी, आर्थिक दक्षता, लोक निजी भागीदारी सुनिश्चित करेंगी, प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करेंगी और उपभोक्ता हितों का संरक्षण करेंगी; और
- (झ) ऐसे अन्य मामले जो विहित किये जायें।

- 5. राज्य वितरण अनुजिष्तिधारी के लिए वित्तीय पुनर्संरचना योजना.- (1) राज्य सरकार, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय पुनर्संरचना योजना में परिचालन संबंधी और वित्तीय मानदण्डों का प्रक्षेपपथ नियत समय सीमा के भीतर-भीतर प्राप्त कर लिया जाये, समुचित अध्युपाय करेगी।
- (2) राज्य सरकार, वित्तपोषण साधन के माध्यम से राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायेगी और,-
 - (i) वित्तीय पुनर्संरचना योजना में सम्मिलित परिचालन संबंधी और वितीय प्रक्षेपपथ; और
 - (ii) अध्युपाय, जो वितीय पुनर्सरचना योजना या किसी भी अन्य वितीय पुनर्सरचना स्कीम में विनिर्दिष्ट किये जायें.

प्राप्त करने के लिए मानीटरिंग सुनिश्चित करेगी:

परन्तु ये राजवितीय उत्तरदायित्व, बजट बाध्यता, यदि कोई हो, से संगत होंगे।

6. वित्तपोषण साधन का गठन और कृत्य और सरकारी सहायता.- (1) इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वित्तपोषण साधन के रूप में कार्य करने के लिए और राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के लिए पूंजी जुटाने और/या कम लागत पर उधार लेने के लिए, कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 18) के उपबंधों के अधीन राजस्थान राज्य विद्युत वितरण वित्त निगम लिमिटेड स्थापित करेगी।

- (2) राज्य सरकार, 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वितीय वर्ष से वितीय वर्ष 2021-22 तक की कालावधि हेतु प्रत्येक वितीय वर्ष के लिए वित्तपोषण साधन को निम्नलिखित वितीय सहायता उपलब्ध करवायेगी, अर्थात्:-
 - (क) राज्य द्वारा संगृहीत विद्युत शुल्क के बराबर रकम;
 - (ख) विद्युत अधिनियम के अधीन संगृहीत प्रशमनीय प्रभारों के बराबर रकम; और
 - (ग) ऐसी अन्य रकमें जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा मंजूर की जायें।
- (3) वित्रपोषण साधन, राज्य सरकार के अनुमोदन से, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए बाजार से निधियां जुटा सकेंगे।
- (4) राज्य सरकार उप-धारा (3) के अधीन जुटायी गयी निधियों के प्रतिसंदाय की प्रत्याभृति दे सकेगी।
- (5) राज्य सरकार के सामान्य या विनिर्दिष्ट निदेशों के अध्यधीन रहते हुए, वित्तपोषण साधन इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायेगा।
- 7. लेखा अध्युपाय.- (1) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से छह मास के भीतर-भीतर, राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी की लेखा-पुस्तकों में प्राप्य राशियों और डूबंत तथा शंकास्पद ऋण की पहचान, उपबंध और अपलिखित करने को सुनिश्चित करने के लिए एक सशक्त समिति गठित करेंगे:

परन्तु राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी लेखा नीतियां तैयार करेंगे जो उनके वितीय प्रबंधन और प्राप्य राशियों के प्रबंधन के लिए उपबंध करेंगे और उन्हें अपलिखित करने के लिए समय-सीमा अन्तर्विष्ट करते हुए डूबंत और शंकास्पद ऋण के लिए उपबंध करेंगे।

- (2) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि वितरण अनुज्ञिप्तिधारी इस अधिनियम के अधिनियमित किये जाने के दो वर्ष के भीतर-भीतर कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 18) के अधीन विहित लेखा मानकों के अनुसार भौतिक सत्यापन पूर्ण करें और नियत आस्तियां रजिस्टर तैयार करें।
- (3) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए एक सशक्त समिति गठित करेगी। सशक्त समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-
 - (i) राज्य के ऊर्जा विभाग का प्रभारी शासन सचिव अध्यक्ष;
- (ii) राज्य वितरण अन्ज्ञप्तिधारी का प्रबंध निदेशक सदस्य सचिव; और
- (iii) संबंधित राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी का निदेशक (वित) - सदस्य।

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए, "प्रभारी शासन सचिव" से विभाग का प्रभारी शासन सचिव अभिप्रेत है और इसमें कोई अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख शासन सचिव सम्मिलित है, जब वह किसी विभाग का प्रभारी हो।

8. कॉपॉरेट गवर्नेंस.- (1) कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 18) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी के निदेशक

बोर्ड के पास कृत्यकारी, नामनिर्देशिती और स्वतंत्र निदेशकों का आदर्श संयोजन है:

परन्तु कृत्यकारी निदेशकों की संख्या (अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक को सम्मिलित करते हुए) बोर्ड की वास्तविक सदस्य संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी:

परन्तु यह और कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नामनिर्देशिती निदेशकों की संख्या अधिकतम दो तक निर्वधित होगी:

परन्तु यह और भी कि स्वतंत्र निदेशकों की संख्या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 18) के उपबंधों के अनुसार होगी।

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए, "स्वतंत्र निदेशक" का वही अर्थ होगा जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 18) की धारा 149 की उप-धारा (5) में परिभाषित किया गया है।

- (2) राज्य सरकार, राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी के समस्त बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन हेतु पब्लिक सेक्टर उद्यम के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर मार्गदर्शक सिद्धांत के समान, जैसा पब्लिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है, एक आचार संहिता अधिकथित करेगी जिसमें बोर्ड और प्रबंधन के बीच उत्तरदायित्वों की भूमिका और उनके विभाजन का स्पष्ट अंकन सम्मिलित होगा किन्तु सीमित नहीं होगा।
- 9. विनियामक अनुपालन और टैरिफ फाइल करना.- (1) राज्य सरकार, वर्ष में दो बार, विद्युत अधिनियम और तद्धीन बनाये गए

नियमों और विनियमों, साथ ही विनियामक निदेशों और नीतियों का और साथ ही साथ ऐसे अंतिम मूल्यांकन से अननुपालन के दृष्टान्तों को सुधारने के लिए उठाये गये कदमों का राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अनुपालन की प्रास्थिति का मूल्यांकन करेगी।

- (2) राज्य सरकार, राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट आदेशों या विनियमों के अनुसार, इ-अप पिटीशनों, संकलित राजस्व आवश्यकताओं और टैरिफ पिटीशनों, और राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा क्रय की गयी विद्युत की लागत तथा ईंधन के कारण समायोजन के लिए पिटीशनों का नियमित और समय पर फाइल किया जाना सुनिश्चित करेगी।
- (3) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी, उनके अस्तित्व की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के भीतर-भीतर या ऐसी कालावधि, जो राज्य आयोग द्वारा नियत की जाये, यदि कोई हो, के भीतर-भीतर, जो भी पहले हो, नियामक आस्तियों के परिसमापन के लिए आवश्यक कदम उठायेंगे।
- 10. समझौता ज्ञापन.- (1) राज्य सरकार और राज्य वितरण अनुज्ञिप्तिधारी, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से छह मास से अनिधिक की कालाविध के भीतर-भीतर, प्रत्येक वितीय वर्ष के लिए राज्य वितरण अनुज्ञिप्तिधारियों के मुख्य कार्य सूचकों और कार्य मूल्यांकन के लिए लक्ष्य स्थापित करने हेत् समझौता ज्ञापन करेंगे:

परन्तु समझौता ज्ञापन का उद्देश्य इसकी विधिक और विनियामक बाध्यताओं को, जिसमें,-

> (क) राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा संकलित राजस्व आवश्यकताओं और टैरिफ याचिकाओं तथा क्रय की गयी

विद्युत की लागत और ईंधन के कारण समायोजनों को समय पर फाइल किया जाना;

- (ख) प्रज्ञाय्क्त विनिधान और पूंजीगत व्यय योजना; और
- (ग) उपभोक्ताओं के लिए यथोचित और वहन करने योग्य विद्युत प्रदाय समर्थ बनाने के लिए वित्तीय प्रबंधन,

सम्मिलित है किन्तु सीमित नहीं है, पूरा करने और उनका पालन करने के लिए राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को और अधिक स्वायत्तता उपलब्ध करवाना होगा:

परन्तु यह और कि समझौता ज्ञापन, इस अधिनियम और राज्य विद्युत वितरण प्रबंध विवरण के अधीन विहित समस्त वितीय और परिचालन संबंधी मानदण्डों के लिए अनुपालन की उपलब्धि हेतु उपबंध करेगा।

(2) राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के अधीन यथा अपेक्षित उनके परिचालन संबंधी और वितीय अनुपालन पर राज्य सरकार को प्रत्येक छह मास में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे:

परन्तु रिपोर्ट में राज्य सरकार द्वारा यथा विहित इन अनुपालन उपलब्धियों के विरुद्ध अनुपालन उपलब्धियों और वास्तविक अनुपालन को पूरा करने के लिए युक्ति और योजना अधिकथित की जायेगी:

परन्तु यह और कि राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी, सहमत उपलब्धियां पूरी करने में असफल होने के मामले में, पुनरीक्षित युक्तियां और योजनाएं उपदर्शित करेंगे। 11. मानीटरी व्यवस्था.- राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए, निम्नलिखित को

मिलाकर एक समिति स्थापित करेगी, अर्थात्:-

(क) राज्य का म्ख्य सचिव - अध्यक्ष;

(ख) वित्त विभाग का प्रभारी शासन सचिव - सदस्य;

(ग) ऊर्जा विभाग का प्रभारी शासन सचिव - सदस्य-सचिव;

(घ) प्रत्येक राज्य वितरण अनुज्ञप्ति का प्रबंध निदेशक

सदस्य;

(ङ) प्रबंधनिदेशक,राजस्थान विद्युतउत्पादन निगम लिमिटेड

सदस्य;

(च) प्रबंध निदेशक, राजस्थान विद्युतप्रसारण निगम लिमिटेड

सदस्य;

(छ) राज्य वितरण अनुज्ञिष्तिधारियों के नोडल बैंक और तीन मुख्य उधारदाताओं के प्रतिनिधि

सदस्य;

(ज) प्राधिकरण से प्रतिनिधि

सदस्य।

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए, "प्रभारी शासन सचिव" से विभाग का प्रभारी शासन सचिव अभिप्रेत है और इसमें कोई अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख शासन सचिव सम्मिलित है, जब वह किसी विभाग का प्रभारी हो।

- 12. अनुपालन का प्रवर्तन कराने के अध्युपाय.- (1) धारा 11 के अधीन स्थापित समिति, राज्य सरकार और राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों पर इस अधिनियम के अधीन संत्यक्त बाध्यताओं के अनुपालन का प्रत्येक तिमाही में पुनरीक्षण करेगी और उपचारी उपायों की, यदि कोई हों, सिफारिश करेगी।
- (2) जहां अकल्पित परिस्थितियों के कारण, राज्य सरकार और राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों पर इस अधिनियम के अधीन संत्यक्त बाध्यताओं को पूरा करने में विचलन होता है, वहां राज्य सरकार राज्य विधान-मण्डल के समक्ष निम्नलिखित स्पष्टीकरण देते हुए कथन करेगी:-
 - (i) राज्य सरकार और राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों पर इस अधिनियम के अधीन संत्यक्त बाध्यताओं को पूरा करने में विचलन के कारण:
 - (ii) कि ऐसा विचलन सारवान् है और राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के वितीय और परिचालन संबंधी प्रतिवर्तन पर सम्भावित संबंध रखता है; और
 - (iii) उपचारी उपाय जिन्हें राज्य सरकार धारा 11 के अधीन स्थापित समिति द्वारा की गयी सिफारिशों को ग्रहण करने के लिए प्रस्ताव करती है।
- 13. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रवृत होने की तारीख से छह मास के भीतर- भीतर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

- (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी भी विषय के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:-
 - (i) धारा 3 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट राज्य विद्युत वितरण प्रबंध विवरण का प्ररूप;
 - (ii) धारा 4 के खण्ड (झ) के अधीन दीर्घ-अविध योजना के लिए ऐसे अन्य मामले;
 - (iii) ऐसा कोई भी अन्य मामला, जो विहित किया जाना अपेक्षित हो या किया जा सके।
- (3) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की कालाविध के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधानमण्डल का सदन ऐसे नियमों में से किसी भी नियम में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसा नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होगा या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या संशोधन उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।
- 14. सदभावपूर्वक की गयी कार्रवाई के लिए संरक्षण.- राज्य सरकार या राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य सरकार या राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी के किसी अधिकारी के विरुद्ध, इस अधिनियम के

अधीन सदभावपूर्वक की गयी या किये जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

- 15. अन्य विधियों का लागू होना वर्जित नहीं.- इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में।
- 16. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, कोई भी ऐसी कार्रवाई कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो कठिनाई के निराकरण के लिए उसे समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की कालाविध की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

- (2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके इस प्रकार किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।
- 17. कितपय मामलों में अधिनियम का लागू नहीं होना.- इस अधिनियम की कोई भी बात किसी राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी, जो राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन नहीं है या, राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी की किसी उत्तराधिकारी कम्पनी, जो राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन नहीं है, पर लागू नहीं होगी।
- 18. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबंध उत्तरदायित्व अध्यादेश, 2016 (2016 का अध्यादेश सं. 1) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी उक्त अध्यादेश के द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

अनुसूची

[धारा 2(झ) देखिए]

मुख्य कार्य सूचक

इस अधिनियम की धारा 3 में यथा उपबंधित राज्य विद्युत वितरण प्रबंध विवरण में निम्नलिखित मुख्य कार्य सूचक सम्मिलित होंगे, किन्त् सीमित नहीं होंगे:-

- 1. संकलित तकनीकी और वाणिज्यिक हानि में कमी के प्रक्षेपपथ:
 - (क) संकलित तकनीकी और वाणिज्यिक हानियां कम से कम 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से कम की जायें, यदि हानियां 30 प्रतिशत से अधिक हों;
 - (ख) संकलित तकनीकी और वाणिज्यिक हानियां कम से कम 1.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से कम की जायें, यदि हानियां 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बीच हों;
 - (ग) संकलित तकनीकी और वाणिज्यिक हानियां कम से कम 1 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से कम की जायें, यदि हानियां 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत के बीच हों:
 - (घ) संकलित तकनीकी और वाणिज्यिक हानियां कम से कम 0.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से कम की जायें,

यदि हानियां 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत के बीच हों।

- समस्त 33 किलो वोल्ट फीडरों और 11 किलो वोल्ट फीडरों का ऊर्जा लेखा और ऊर्जा संपरीक्षा - एक वर्ष के भीतर-भीतर पूरा करना।
- 3. फीडर मीटर और उपभोक्ता सारणीकरण का प्रतिशत प्रत्येक तिमाही के अन्त में यथा मापित 100 प्रतिशत स्तर पर संधारित किया जाना। किसी फीडर को केवल तब गैर-मीटर वाला समझा जायेगा यदि वह ऐसी कालावधि के लिए, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाये, गैर-मीटर वाला रहा है परन्तु यह दो मास से अधिक नहीं होगी। इसी प्रकार, किसी उपभोक्ता को केवल तब गैर-सारणीकृत समझा जायेगा यदि वह ऐसी कालावधि के लिए, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाये, गैर-सारणीकृत रहा है परन्तु यह दो बिल चक्रों से अधिक नहीं होगी एक वर्ष के भीतर-भीतर प्रा करना।
- 4. वास्तिवक मीटर पठन पर जारी किये गये बिलों वाले उपभोक्ताओं का प्रतिशत दो वर्ष के भीतर-भीतर 98 प्रतिशत के स्तर पर पूरा करना। मीटर त्रुटियुक्त समझा जायेगा यदि वह ऐसी कालाविध के लिए, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाये, त्रुटियुक्त बना रहता हैं परन्तु यह दो बिल चक्रों से अधिक नहीं होगी।
- संग्रहण दक्षता प्रत्येक वर्ष में 99 प्रतिशत से अधिक रखा जाना।

- 6. पिछले प्राप्यों की वसूली आयोग द्वारा कामकाज पूंजी संगणना में मानदंड संबंधी स्तर अनुज्ञात किये जाने तक पिछले प्राप्यों में 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से कमी किया जाना।
- 7. वार्षिक लेखों का समय पर तैयार किया जाना और लेखा परीक्षा किया जाना (वार्षिक लेखों को 30 सितम्बर की नियत तारीख के भीतर-भीतर तैयार किया जाये) और चालू लेखा मानकों के साथ फिर से बनाना।

8. कॉर्पोरेट गवर्नेंस:

- (क) कृत्यकारी निदेशकों की संख्या- केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार।
- (ख) स्वतंत्र निदेशकों की संख्या- केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य स्वामित्वाधीन वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को वृहद वितीय हानि हो रही है, जो उनकी प्रचालन और वितीय व्यावहारिकता को प्रभावित कर रही है। इसलिए, वितीय पुनर्संरचना, दीर्घ-अविध योजना के क्षेत्रों में पोषणीय आधार पर समर्थन, कॉपॉरेट गवर्नेंस, विनियामक अनुपालनों के माध्यम से उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत प्रदाय हेतु समर्थ बनाने के लिए, राज्य के स्वामित्वाधीन वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वितीय और प्रचालन प्रतिवर्तन तथा दीर्घ-अविध पोषणीयता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार तथा राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के उत्तरदायित्वों के लिए और नीति निदेशों तथा विभिन्न अन्य अध्युपायों को अधिकथित करने के लिए उपबंध किया जाना समुचित समझा गया है।

चूंकि राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए उन्होंने 7 जनवरी, 2016 को राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबंध उत्तरदायित्व अध्यादेश, 2016 (2016 का अध्यादेश सं. 1) प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, भाग 4(ख), असाधारण में दिनांक 11 जनवरी, 2016 को प्रकाशित हुआ।

यह विधेयक पूर्वीक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्त्त है।

पुष्पेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक के निम्नलिखित खण्ड, यदि अधिनियमित किये जाते हैं तो, ऐसे प्रत्येक खण्ड के सामने उल्लिखित मामलों के संबंध में, राज्य सरकार को नियम बनाने के लिए सशक्त करेंगे:-

खण्ड	के संबंध में
3(2)	वह प्ररूप, जिसमें राज्य विद्युत वितरण प्रबंध विवरण बनाया जायेगा, विहित करना;
4(झ)	दीर्घ अवधि योजना के लिए अन्य मामले विहित करना;
10(2)	अनुपालन उपलब्धियां विहित करना; और
13	कोई भी अन्य मामले जो अपेक्षित हों या किये जा सकें,
	विहित करना; और इस अधिनियम के प्रयोजनों को
	साधारणतया कार्यान्वित करना।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और मुख्यत: ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

> पुष्पेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री।

(Authorised English Translation)

Bill No. 6 of 2016

THE RAJASTHAN STATE ELECTRICITY DISTRIBUTION MANAGEMENT RESPONSIBILITY BILL, 2016

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to provide for responsibilities of the State Government and State Distribution Licensees to ensure financial and operational turnaround and long-term sustainability of the State-owned Distribution Licensee to enable adequate electricity supply to consumers through financial restructuring, support on sustainable basis in the areas of long term planning, corporate governance, regulatory compliances, and laying down of policy directives and various other measures connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-Seventh Year of the Republic of India, as follows:-

- **1. Short title, extent and commencement.-** (1) This Act may be called the Rajasthan State Electricity Distribution Management Responsibility Act, 2016.
 - (2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.
- (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.
- **2. Definitions.-** (1) In this Act, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "action plan" means the action plan referred to in clause (b) of sub-section (1) of section 3 of this Act;
 - (b) "aggregate technical and commercial loss", in relation to a given period, means the difference between the energy input into the distribution system and the energy realized for the period wherein the energy realized shall be equal to the product of energy sold for which bills have been issued to consumers and collection efficiency for

- the period, expressed as a percentage of the energy input;
- (c) "Authority" means the Central Electricity Authority referred to in sub-section (1) of section 70 of the Electricity Act;
- (d) "Board" shall have the meaning assigned to it under the Electricity Act;
- (e) "collection efficiency" means the ratio of total revenue realized against sale of energy to the total amount billed for sale of energy for the same period;
- (f) "Electricity Act" means the Electricity Act, 2003 (Central Act No.36 of 2003) as in force from time to time;
- (g) "financial restructuring plan" means the plan for financial restructuring of the Distribution Licensees as approved by the State Government from time to time in accordance with the provisions of the Financial Restructuring Scheme notified by the Central Government in terms of Office Memorandum No. 20/11/2012-APDRP dated 05th October, 2012;
- (h) "financing vehicle" means the Rajasthan Rajya Vidyut Vitaran Vitt Nigam Ltd. as constituted in terms of sub-section (1) of section 6;
- (i) "key performance indicators" means the performance standards laid down by the State Commission, if any, and/or in the Financial Restructuring Plan, if any, and till such time the key performance indicators are laid down as above, the key performance indicators as specified in the Schedule to this Act;
- (j) "nodal bank" means the bank nominated by the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, for the purposes of financial restructuring of the State Distribution Licensee and for the purposes of co-ordination

- with the State Government, State Distribution Licensee and the participating Lenders;
- (k) "notification" means notification published in the Official Gazette.
- (l) "prescribed" means prescribed by rules made by the State Government under this Act;
- (m) "rules" means rules made under the Act;
- (n) "State Commission" means Rajasthan Electricity Regulatory Commission constituted under section 82 of the Electricity Act;
- (o) "State Distribution Licensee" means a government company vested with the function of distribution of electricity;
- (p) "true up petition" means a petition filed by the distribution licensee for previous years expenses and revenue based on audited accounts viz-a-viz the approved forecast and categorization of variation in performance as those caused by controllable and uncontrollable factors;
- (2) Words and expressions used but not defined in this Act and defined in the Electricity Act shall have the meanings assigned to them in that Act.
- 3. State Electricity Distribution Management Statement to be laid before the State Legislature.- (1) The State Government shall lay, in each financial year during the Budget Session, before the State Legislature, a State Electricity Distribution Management Statement on the measures taken by the State Government in relation to electricity distribution in the State including, in the areas of long-term planning, consumer protection, regulatory compliance, corporate governance, financial restructuring of the State Distribution Licensee, so as to bring about the operational and financial viability of the State Distribution Licensee, on sustainable basis and in particular it shall comprise of the following:-
 - (a) State Electricity Distribution Strategy Statement mentioning the targets for the key performance indicators and laying down the policies and

strategies of the State Government for achieving the targets set for the key performance indicators, for the ensuing financial year, relating to the conditions or provisions referred to in section 4, section 5, section 6, section 7 and section 9, and description of other activities which have potential implications on financial and operational turnaround of the State Distribution licensees;

- (b) time bound action plan, on long-term, medium term and short-term basis including,-
 - (i) activities to achieve targets for key performance indicators;
 - (ii) monitoring mechanism to ensure achievements of targets for key performance indicators;
 - (iii) feedback loop for in/ mid-course corrections; and
 - (iv) such other actions as may be required to meet the obligations cast under this Act on the State Government to achieve the objectives of this Act:

Provided that the Action plan shall contain steps, including disciplinary action against defaulting officers, for eliminating/ minimizing deviation in actual performance and targets for key performance indicators.

- (c) State Electricity Distribution Performance Statement laying down an assessment of compliance, by the State Electricity Distribution Licensees or the State Government, as the case may be, with the conditions or provisions referred to in sections 4, section 5, section 6, section 7 and section 9 and *vis-à-vis* the key performance indicators.
- (2) The State Electricity Distribution Management Statement shall be in such form as may be prescribed.
- (3) The State Electricity Distribution Management Statement shall be without prejudice to any consequences to which

the State Distribution Licensee may be liable under the Electricity Act, in particular, the timeline referred to in section 55 of the said Act and any orders and directions of the authorities in relation to any of the requirements under the said Act:

Provided that nothing in this section shall imply relaxation of any requirement under the Electricity Act.

- **4.** Long term Planning for sustainability of State Distribution Licensee.- The State Government shall undertake appropriate measures to provide for the following matters, namely:-
 - (a) that the State Distribution Licensees estimates the demand and availability of electricity on long term basis and, contracts, with the approval of the State Commission, through long/ medium/ short term agreements for purchase of power to meet the demand;
 - (b) that the State Distribution Licensees prepares, with the approval of the State Commission, a time bound road map for aggregate technical and commercial loss reduction:

Provided that the road map shall be prepared within six months from the date of coming into force of this Act;

(c) that the State Distribution Licensees undertake energy accounting and auditing of all 33 Kilo Volt feeders and 11 Kilo Volt feeders along with consumer indexing and time bound metering of each category of consumers and in doing so the Distribution Licensee considers latest developments in metering technologies. Distribution Transformer level energy auditing will be carried out in Restructured Accelerated Power Development and Reforms Programme towns within two years:

Provided that the road map in relation to energy accounting and auditing and time bound metering of all consumers shall be prepared within six months from the date of coming into force of this Act and approval for the same shall be sought from the State Commission:

Provided further that the consumer indexing shall be completed within one year from the date of coming into force of this Act:

Provided also that the State Distribution Licensees shall submit to the Authority and the State Commission half yearly progress reports with respect to energy accounting, auditing, metering and feeder wise consumer indexing;

- (d) that if the State Government requires the grant of any subsidy to any consumer or class of consumers, the State Government shall declare the quantum of subsidy in advance categorically stating the consumer or the class of consumers to whom it is to be provided;
- (e) creation of annual budgetary provision and also timely release of subsidies, if committed, in accordance with section 65 of the Electricity Act;
- (f) that there are no arrears of electricity charges for electricity supplied to various departments and institutions of the State Government on or before the date of coming into force of this Act and in case of failure to do so it shall be adjusted against the budgetary grant;
- (g) that the State Load Dispatch Centre is operated within one year from the date of coming into force of this Act, by a Government company or any authority or corporation (other than the State Transmission Utility) established or constituted by or under any State Act, as may be notified by the State Government, and provide for other measures which shall ensure functional and financial autonomy and independent and sustainable revenue streams and adequate manpower:

Provided that such a government company or any authority or corporation shall not engage in

- any functions other than those prescribed under sections 32 and 33 of the Electricity Act;
- formation of subsidiaries, joint venture schemes companies other of division, amalgamation, merger reconstruction or arrangements in relation to the State Distribution Licensees which shall promote the profitability and viability of the resulting entity, ensure economic efficiency, public private partnership, encourage competition and protect consumer interests; and
- (i) such other matters as may be prescribed.
- **5. Financial Restructuring Plan for State Distribution Licensee.-** (1) The State Government shall take appropriate measures to ensure that the trajectories of the operational and financial parameters in the financial restructuring plan are achieved within the stipulated time frame.
- (2)The State Government shall provide financial support to the State Distribution Licensees through the financing vehicle and shall ensure monitoring for achieving,-
 - (i) the operational and financial trajectories included in the financial restructuring plan; and
 - (ii) the measures as may be specified in the financial restructuring plan or any other financial restructuring scheme:

Provided that these fiscal responsibilities shall be consistent with the budgetary constraints, if any.

- 6. Constitution and functions of the financing vehicle and Government support.— (1) As soon as may be after commencement of this Act, the State Government shall establish the Rajasthan Rajya Vidyut Vitaran Vitt Nigam Ltd. under the provisions of the Companies Act, 2013 (Central Act No. 18 of 2013) to act as a financing vehicle for the purposes of this Act and to facilitate raising of capital and/or lower cost borrowings for the State Distribution Licensees.
- (2) The State Government shall provide following financial support to the financing vehicle for every financial year for a

period upto financial year 2021-22 starting from financial year 2015-16, namely:-

- (a) an amount equal to electricity duty collected by the State:
- (b) an amount equal to compounding charges collected under the Electricity Act; and
- (c) such other amounts as may be granted by the State Government from time to time.
- (3) The financing vehicle may raise funds from the market for the purposes of this Act with the approval of the State Government.
- (4) The State Government may guarantee the repayment of funds raised under sub-section (3).
- (5) Subject to the general or specific directions of the State Government, the financing vehicle shall provide financial support to the state distribution licensees for the purposes of this Act.
- **7. Accounting measures.** (1)The State Government shall ensure that the State Distribution Licensees establish, within six months from the date of coming into force of this Act, an Empowered Committee to ensure identification, provisioning and write offs of receivables and bad and doubtful debts in the books of accounts of the State Distribution Licensee:

Provided that the State Distribution Licensees shall prepare accounting policies which shall provide for its financial management and management of its receivables and provisioning for bad and doubtful debts containing timeline for writing them off.

- (2) The State Government shall ensure that the Distribution Licensees complete physical verification and prepare fixed assets register as per accounting standards prescribed under the Companies Act, 2013 (Central Act No. 18 of 2013) within two years of the enactment of this Act.
- (3) The State Government shall, by notification in the Official Gazette, establish an Empowered Committee for each State Distribution Licensee. The Empowered Committee shall consist of the following namely:-
 - (i) Secretary in charge of the Energy Department - Chairperson; of the State

- (ii) Managing Director of the State Distribution Licensee
- Member-Secretary; and
- (iii) Director (Finance) of the
 State Distribution
 Licensee concerned Member

Explanation.- For the purpose of this sub-section, "Secretary in charge" means the Secretary in charge of the Department and includes an Additional Chief Secretary and Principal Secretary when he is in charge of a department.

8. Corporate Governance.- (1)Subject to the provisions of the Companies Act,2013(Central Act No.18 of 2013) the State Government shall ensure that the Board of Directors of the State Distribution Licensee has an optimum combination of functional, nominee and independent directors:

Provided that the number of functional directors (including Chairman and Managing Director / Managing Director) shall not exceed fifty percent of the actual strength of the Board:

Provided further that the number of nominee directors appointed by the State Government shall be restricted to a maximum of two:

Provided also that the number of independent directors shall be as per the provisions of the Companies Act, 2013 (Central Act No. 18 of 2013).

Explanation.- 'independent director' shall have the same meaning as defined in sub-section (5) of section 149 of the Companies Act, 2013(Central Act No.18 of 2013).

- (2) The State Government shall lay down a code of conduct in line with the Guidelines on Corporate Governance for Public Sector Enterprises, as notified by the Department of Public Enterprises, Government of India, for all Board Members and senior management of the State Distribution Licensee, which shall include but shall not be limited to a clear delineation of the roles and division of responsibilities between the Board and the management.
- **9.** Regulatory compliance and tariff filings.- (1) The State Government shall, twice in a year, evaluate the status of compliance by the State Distribution Licensees with the Electricity Act and rules and regulations made thereunder as also regulatory directives and policies as well as steps taken to rectify instances of non-compliances since the last such evaluation.
- (2) The State Government shall ensure regular and timely filing of true-up petitions, aggregate revenue requirement and tariff

petitions, and petitions for adjustments on account of fuel and cost of power purchased by the State Distribution Licensees, as per the orders or regulations specified by the State Commission.

- (3)The State Government shall ensure that the State Distribution Licensees shall take necessary steps to liquidate the regulatory assets within a period of five years from the date of their existence or within such period stipulated, if any, by the State Commission whichever is earlier.
- **10. Memorandum of Understanding.-** (1) The State Government and the State Distribution Licensees, shall, within a period not exceeding six months from the date of coming into force of this Act, enter into a memorandum of understanding for setting targets for key performance indicators and performance evaluation of the State Distribution Licensees for each financial year:

Provided that the memorandum of understanding shall be aimed at providing greater autonomy to the State Distribution Licensees to perform and comply with its legal and regulatory obligations including but not limited to-

- (a) timely filing of aggregate revenue requirement and tariff petitions and adjustments on account of fuel and cost of power purchased by the State Distribution Licensee;
- (b) prudent investment and capital expenditure planning; and
- (c) financial management, to enable adequate and affordable electricity supply to consumers:

Provided further that the memorandum of understanding shall provide for performance milestones for all the financial and operational parameters prescribed under this Act and State Electricity Distribution Management Statement.

(2) The State Distribution Licensees shall submit every six months, a report to the State Government, on its operational and financial performance as required under various provisions of this Act:

Provided that the report shall lay down the strategy and plan for achieving the performance milestones and actual performance against these performance milestones as prescribed by the State Government:

Provided further that the State Distribution Licensee shall indicate revised strategies and plans in case they fail to achieve the agreed milestones.

11. Monitoring Mechanism.- The State Government shall, by notification in the Official Gazette, establish a Committee for effective implementation of this Act, consisting of the following, namely:-

- (a) Chief Secretary of the State Chairperson;
- (b) Secretary in charge of Finance Member; Department
- (c) Secretary in charge of Energy Member-Department Secretary;
- (d) Managing Director of each of theStateDistributionLicensees Member;
- (e) Managing Director, Rajasthan VidyutUtpadan Nigam Limited Member;
- (f) Managing Director, Rajasthan VidyutPrasaran Nigam Limited - Member;
- (g) Representatives of the Nodal Bank and three major lenders of the State Distribution Licensees - Member;
- (h) Representative from the Authority Member.

Explanation.- For the purpose of this sub-section, "Secretary in charge" means the Secretary in charge of the Department and includes an Additional Chief Secretary and Principal Secretary when he is in charge of a department.

- **12. Measures to enforce compliance.-** (1) The Committee established under section 11 shall review, every quarter, compliance of the obligations cast on the State Government and State Distribution Licensees under this Act and recommend remedial measures, if any.
- (2)Where owing to unforeseen circumstances, there is a deviation in fulfilling the obligations cast on the State Government and State Distribution Licensees under this Act, the State Government shall make a statement before the State Legislature explaining-
 - (i) the reasons for deviation in fulfilling the obligations cast on the State Government and State Distribution Licensees under this Act:

- (ii) whether such deviation is substantial and has potential implications on financial and operational turnaround of the State Distribution Licensees; and
- (iii) the remedial measures that the State Government proposes to take on the recommendations made by the Committee established under section 11.
- 13. Powers of State Government to make rules.- (1) The State Government may, within six months from the date of coming into force of this Act, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.
- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely: -
 - (i) the form of the State Electricity Distribution Management Statement referred to in sub-section (2) of section 3;
 - (ii) such other matters for long term planning under clause (i) of section 4;
 - (iii) any other matter which is required to be, or may be, prescribed.
- (3) All rules made under this section shall be laid, as soon as may be, after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions and, if before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any of such rules or resolves that any such rules should not be made, such rules shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or amendment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.
- 14. Protection of action taken in good faith.- No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or State Distribution Licensee or any officer of the State Government or State Distribution Licensee, for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

- **15. Application of other laws not barred.-** The provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force.
- 16. Power to remove difficulties.- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may by order published in the Official Gazette, do anything, not inconsistent with the provisions of this Act, which appears to it to be expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order under this section shall be made after the expiry of a period of one year from the date of commencement of this Act.

- (2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be, after it is so made, before the House of the State Legislature.
- 17. Act not to apply in certain cases.- Nothing in this Act shall apply to any State Distribution Licensee that is not owned or controlled by the State Government or to a successor entity of the State Distribution Licensee that is not owned or controlled by the State Government.
- **18. Repeal and savings.-** (1) The Rajasthan State Electricity Distribution Management Responsibility Ordinance, 2016 (Ordinance No. 1 of 2016) is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under the principal Act as amended by this Act.

SCHEDULE

[see Sec. 2(i)]

Key Performance Indicators

The State Electricity Distribution Management Statement as provided in section 3 of this Act shall include but not be limited to, the following Key Performance Indicators:-

- 1. Aggregate technical and commercial loss reduction trajectory:
 - (a) Aggregate technical and commercial losses to be reduced at least at the rate 3% per year if losses are above 30%;
 - (b) Aggregate technical and commercial losses to be reduced at least at the rate 1.5% per year if losses are in the range of 20% to 30%;
 - (c) Aggregate technical and commercial losses to be reduced at least at the rate 1% per year if losses are in the range of 15% to 20%;
 - (d) Aggregate technical and commercial losses to be reduced at least at the rate 0.5% per year if losses are in the range of 10% to 15%.
- 2. Energy accounting and energy auditing of all 33 Kilo Volt feeders and 11 Kilo Volt feeders to be achieved within one year.
- 3. Percentage of Feeder metering and consumer indexing to be maintained at level of 100%, as measured at the end of each quarter. A feeder shall be considered to be non-metered only if it is non-metered for a period as may be notified by the State Government provided that it shall not exceed two months. Similarly, a consumer shall be considered to be non-indexed only if he is non-indexed for a period as may be notified by the State Government provided that it shall not exceed two billing cycles to be achieved within one year.
- 4. Percentage of consumers billed on actual meter reading to be achieved at the level of 98% within two years. Meter will be considered as defective if it remains defective for period as may be notified by the State Government provided that it shall not exceed two billing cycles.

- 5. Collection efficiency to be maintained above 99% in each year.
- 6. Recovery of past receivables Past receivables to be reduced at the rate 10% per year till the normative level allowed by the Commission in the working capital computation.
- 7. Timely preparation and audit of annual accounts (Annual accounts to be prepared within due date of 30th September and realigned with the current accounting standards.
- 8. Corporate Governance:
 - (a) Number of functional directors- As per guidelines for Corporate Governance for Central Public Sector Undertakings.
 - (b) Number of independent Directors- As per guidelines for Corporate Governance for Central Public Sector Undertakings.

STATEMENT OF OBJECT AND REASONS

The State Owned Distribution Licensees are having huge financial losses which is affecting their operational and financial viability. Therefore, it is considered appropriate to provide for responsibilities of the State Government and State Distribution Licensees to ensure financial and operational turnaround and long-term sustainability of the State-owned Distribution Licensee to enable adequate electricity supply to consumers through financial restructuring support on sustainable basis in the areas of long term planning, corporate governance, regulatory compliances, and laying down of policy directives and various other measures.

Since the Rajasthan Legislative Assembly was not in session and circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, he, therefore, promulgated the Rajasthan State Electricity Distribution Management Responsibility Ordinance, 2016 (Ordinance No. 1 of 2016) on 7th January, 2016, which was published in Rajasthan Gazette, Part IV(B), Extraordinary, dated 11th January, 2016.

The Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance.

Hence the Bill.

पुष्पेन्द्र सिंह, Minister Incharge.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Following clauses of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to make rules with respect to matters stated against each such clause:-

Clauses	With respect to
3 (2)	prescribing the form in which the State Electricity Distribution Management Statement shall be made;
4 (i)	prescribing the other matters for long term planning;
10 (2)	prescribing performance milestones; and
13	prescribing any other matters which is or may be required; and generally to carry out the purposes of this Act.

The proposed delegation is of normal character and mainly relates to the matters of detail.

पुष्पेन्द्र सिंह, Minister Incharge. 2016 का विधेयक सं.6 राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबंध उत्तरदायित्व विधेयक, 2016

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

वितीय पुनर्सरचना, दीर्घ-अविध योजना के क्षेत्रों में पोषणीय आधार पर समर्थन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, विनियामक अनुपालनों के माध्यम से उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत प्रदाय हेतु समर्थ बनाने के लिए, राज्य के स्वामित्वाधीन वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वितीय और प्रचालन प्रतिवर्तन तथा दीर्घ-अविध पोषणीयता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार तथा राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के उत्तरदायित्वों के लिए और नीति निदेशों तथा उनसे संसक्त या उनसे आनुषंगिक विभिन्न अन्य अध्युपायों को अधिकथित करने के लिए उपबंध करने हेतु विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में प्रःस्थापित किया जायेगा)

पृथ्वी राज, **विशिष्ट सचिव।**

(प्ष्पेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री)

Bill No. 6 of 2016

THE RAJASTHAN STATE ELECTRICITY DISTRIBUTION MANAGEMENT RESPONSIBILITY BILL, 2016

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

 \boldsymbol{A}

Bill

to provide for responsibilities of the State Government and State Distribution Licensees to ensure financial and operational turnaround and long-term sustainability of the State-owned Distribution Licensee to enable adequate electricity supply to consumers through financial restructuring, support on sustainable basis in the areas of long term planning, corporate governance, regulatory compliances, and laying down of policy directives and various other measures connected therewith or incidental thereto.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Prithvi Raj, **Special Secretary.**

(Pushpendra Singh, Minister-Incharge)